कार्यालय कलेक्टर एवं ज़िला दण्डाधिकारी जबलपुर

(सत्कार / वित्त शाखा)

ईमेल: dpjabalpur@mp.gov.in, **फोन:** 0761-2624350(एक्सटेंशन-220), **फैक्स:** 0761-2624200

क्रमांक/ 995 /सत्कार शाखा/2021 जबलपुर, दिनाँक 26/10/2021

निविदा सूचना

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:- 17.11.2021 अपराह्न 12:00 बजे तक।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:- 17.11.2021 अपराह्न 03:00 बजे तक।
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	:- 17.11.2021 अपराह्न 04:00 बजे तक।

कलेक्टर जबलपुर द्वारा शासकीय कार्य एवं सत्कार व्यवस्था हेतु निजी कमर्शियल वाहन किराये पर लेने के लिये इच्छुक ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेंसियों जिनके फर्म के नाम कम से कम 15 वाहन कमर्शियल टैक्सी के रुप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म सीधे www.jabalpur.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या कलेक्टर कार्यालय के नाजरात शाखा से 500/- (अंकन - पाँच सौ रुपये) भुगतान कर कार्यालयीन समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म डाउनलोड करने की दशा में 500/- की डी.डी./बैंकर्स चैक कलेक्टर जबलपुर के नाम से देय होगा।

अधिक जानकारी के लिए आप सीधे कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 20 में जिला सत्कार अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा कलेक्ट्रेट जबलपुर से या उनके सहायक से अथवा वेबसाइट www.jabalpur.nic.in पर देख सकते हैं।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला सत्कार अधिकारी
जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर (सत्कार / वित्त शाखा) जबलपुर

जबलपुर (मध्य प्रदेश) - 482001

निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक/995/सत्कार वाहन/ 2021 जबलपुर दिनांक: 26/10/2021

शासकीय कार्य एवं सत्कार व्यवस्था हेतु

किराए आधार पर

कमर्शियल वाहन के संबंध में

निविदा प्रस्ताव

निविदा प्रपत्र की कीमत - 500/- (वापस योग्य नहीं)

* निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 17/11/2021 अपरान्ह 12:00 बजे तक
* निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 17/11/2021 अपरान्ह 3:00 बजे तक
* निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 17/11/2021 अपरान्ह 4:00 बजे तक

कार्यालय कलेक्टर (सत्कार / वित्त शाखा) जबलपुर

जबलपुर (मध्य प्रदेश) - 482001

निविदा/ प्रस्ताव प्रपत्र

क्रमांक/995/सत्कार वाहन/ 2021 जबलपुर दिनांक: 26/10/2021

प्रति,

निविदाकर्ता (समस्त)

विषय:- शासकीय कार्य एवं सत्कार व्यवस्था हेतु कमर्शियल वाहन किराए आधार पर लेने बाबत।

कलेक्टर जबलपुर मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठित संस्था/कंपनी टैक्सी ऑपरेटर्स किराए आधार पर मुहर बंद निविदा आमंत्रित करता है। समस्त टैक्सी ऑपरेटर्स जिनका कार्यालय के उप कार्यालय जबलपुर में स्थित हो एवं कलेक्टर जबलपुर की आवश्यकता अनुसार टैक्सी उपलब्ध करा सकता हो, वे समस्त निविदाकर्ता नियमों एवं शर्तों के अधीन निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं

निविदा के नियम पर शर्त निम्नानुसार है:-

1. **आवश्यकतानुसार विवरण**:-

कलेक्टर जबलपुर को समय-समय पर अलग-अलग श्रेणियों के कमर्शियल वाहन किराए पर लेने की आवश्यकता होगी विभिन्न श्रेणियों के कमर्शियल वाहन निम्नानुसार हैं:-

1.1 श्रेणी-1- जबलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत वाहन
(प्रतिदिन 24 घंटे-250 कि. मी.) के हिसाब से

1.2 श्रेणी-2- जबलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत वाहन
(प्रतिदिन 12 घंटे-120 कि. मी.) के हिसाब से

1.3 श्रेणी-3- जबलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत वाहन
(प्रतिदिन 8 घंटे-80 कि. मी.) के हिसाब से

1.4 श्रेणी-4- जबलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत से बाहर मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिलों में जाने के लिए वाहन (प्रतिदिन के हिसाब से)

1.5 श्रेणी-5- जबलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत या जबलपुर से बाहर जाने के लिए (मासिक आधार पर)
(नोट- मासिक आधार पर वाहन लेने पर केवल डीजल पेट्रोल का व्यय कलेक्टर जबलपुर द्वारा वाहन किया जाएगा, डीजल के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यय टैक्सी ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा)

2. **आवश्यकतानुसार वाहन का प्रकार**:-

2.1 **लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A'**

1. फॉर्च्यूनर
2. इनोवा क्रिस्टा
3. इनोवा
4. टाटा सफारी
5. टाटा हेक्सा
6. स्कॉर्पियो
7. महिंद्रा एक्स.यू.वी

2.2 **लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B'**

1. बोलेरो
2. तवेरा
3. टी.यू.वी.
4. अर्टिगा
5. हुंडई वर्ना
5. स्कोडा रेपिड
6. होंडा सिटी
7. स्विफ्ट डिजायर
8. सियाज
9. अन्य

2.3 **वाहन - 'श्रेणी C'**

1. ट्रेवलर (ए.सी.)
2. मिनी बस
3. लोडर वाहन

3. **निविदा के तहत उपरोक्त वाहनों के संबंध में निम्न आवश्यकताएं-**

निविदाकार को निविदा प्रेषित करने के पूर्व उपरोक्त वाहनों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रेषित करनी होगी-

3.1 सभी वाहन वर्ष 2019 के पूर्व के मॉडल का मान्य नहीं होगा।

3.2 मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य परिवहन कार्यालय से वैध कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

3.3 वाहन का बीमा/ अनुभवी ड्राइवर/ रोड टैक्स/ वैध परमिट आदि की जानकारी तकनीकी प्रस्ताव के साथ देना अनिवार्य होगा।

3.4 निविदाकार यदि व्यक्तिगत है तो PAN की फोटो प्रति तथा यदि संस्था कंपनियां समिति है तो TAN की फोटो प्रति देना आवश्यक होगा।

3.5.1 निविदाकार के पंजीकृत फर्म/ संस्था-सर्विस टैक्स के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।

4. **निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-**

4.1 निविदा दो लिफाफों में अलग-अलग सील बंद कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत करना होगा।

4.1.1 तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा(A) ।

4.1.2 वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा(B) ।

4.2 वित्तीय प्रस्ताव उन्हें निविदाकर्ता का खोला जाएगा जिनको चयन समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव में उत्तीर्ण किया जाएगा

4.3.1 वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र क्रमांक-1 (आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित) जिसके अंतर्गत समस्त आवश्यक दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के साथ ई.एम.डी. राशि के रूप में बैंकर्स चेक/डी.डी. संलग्न होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर किराए आधार पर टैक्सी लेने के लिए तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा A) स्पष्ट लेख होना चाहिए।

4.3.2 वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र क्रमांक-2 (आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित) जिसमें आवश्यक रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के साथ-साथ लिफाफे के ऊपर किराया आधार पर टैक्सी लेने के लिए तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा B) स्पष्ट लेख होना चाहिए।

4.3.3 वित्तीय प्रस्ताव एवं तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा अलग-अलग सील बंद कर एक बड़े लिफाफे में (लिफाफा सी) जिसके ऊपर निविदा क्रमांक दिनांक "कलेक्टर द्वारा किराया आधार पर कमर्शियल वाहन लेने हेतु आमंत्रित निविदा" लेख होना चाहिए तथा प्रेषक के रूप में ऑपरेटर/ संस्था/ कंपनी का नाम व पता स्पष्ट लेख होना चाहिए।

4.4 उपरोक्त सीलबंद लिफाफा निर्धारित तिथि दिनांक 17/11/2021 को दोपहर 3:00 बजे तक जिला सत्कार अधिकारी कक्ष क्रमांक 20 कलेक्टर कार्यालय जबलपुर के कक्ष में रखे सीलबंद बॉक्स में डालना होगा निर्धारित समय के बाद निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.5 निविदा दिनांक 17/11/2021 को शाम 4:00 बजे के समय ने निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में चयनित समिति द्वारा खोला जाएगा।

4.6 डाक व ई-मेल द्वारा प्राप्त निविदा नहीं खोला जाएगा।

4.7 उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष केवल तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा खोला जाएगा तथा उत्तीर्ण निविदाकर्ताओं का लिफाफा चयन समिति द्वारा बाद में खोलने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सूचना समस्त निविदाकर्ताओं को दिया जाना आवश्यक नहीं होगा केवल उत्तीर्ण निविदाकर्ता को कार्यालय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण निविदाकर्ता यदि आवश्यक समझे, तो वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5. **तकनीकी योग्यता की आवश्यक शर्तें-**

5.1 मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल टैक्सी संचालित करने हेतु ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रैवलिंग एजेंट का रजिस्ट्रेशन ना होने की दशा में निविदा अस्वीकार किया जाएगा। यदि टैक्सी ऑपरेटर द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ट्रैवलिंग एजेंट के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा निर्धारित शुल्क जमा किया गया है तो इसका प्रमाण तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.2 समस्त निविदाकर्ता को तकनीकी प्रस्ताव (प्रपत्र - 1) में दी गई समस्त जानकारियों को देना आवश्यक होगा तथा जानकारी से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। समिति, किसी भी जानकारी की जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगी तकनीकी प्रस्ताव में दी गई कोई भी जानकारी अधूरी/ झूठी पाई जाने पर संबंधित निविदाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है तथा ऐसे निविदाकर्ता का निविदा निरस्त किया जाएगा।

5.3 निविदाकर्ता को समस्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी तथा इस आशय का प्रमाण करना होगा कि निविदाकर्ता का मुख्य/उप कार्यालय जबलपुर जिले में स्थित है।

5.4 टैक्सी ऑपरेटर्स/ संस्था/ कंपनी के नाम से खुद के स्वामित्व के कम से कम 03 इनोवा क्रिस्टा कमर्शियल वाहन मॉडल 2019 या उसके बाद का एवं 15 कमर्शियल वाहन स्वयं/ अनुबंधित होना आवश्यक है। कमर्शियल वाहनों की समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5.5 निविदाकर्ता इस आशय का प्रमाण/करार पत्र प्रस्तुत करेगा कि कलेक्टर जबलपुर या नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर एक साथ कम से कम 25 वाहन उपलब्ध कराएगा, आवश्यकतानुसार यदि निविदाकर्ता निविदा के अनुरूप केवल 15 वाहन उपलब्ध कराने में समर्थ है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी दूसरे टैक्सी ऑपरेटर्स से टैक्सी लेने के लिए स्वतंत्र होगा ऐसी स्थिति में निर्धारित किराए की राशि से अधिक राशि का जो भी भुगतान होगा यह निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

5.6 निविदाकर्ता को तकनीकी प्रस्तावा के साथ विगत 03 वर्ष का लेखा-जोखा/ आयकर विवरण सहित देना होगा। जिसमे किसी 01 वर्ष का टर्नओवर 01 करोड़ से कम नही होना चाहिये। प्रस्तुत टर्न ओवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

5.7 निविदाकर्ता या उसके द्वारा संचालित संस्था/कंपनी मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य जिलों में ब्लैक लिस्टेड (Blacklisted) नहीं होना चाहिए।

5.8 निविदाकर्ता को इस प्रकार का कार्य करने का विगत 3 वर्षो का अनुभव होना चाहिए अर्थात विगत 3 वर्षो में उसके द्वारा कौन-कौन से शासकीय/अशासकीय कार्यालय, कंपनी/संस्था में अपने वाहन किराए पर दिए गए थे उन संस्थाओं के नाम एवं उसके द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगी।

5.9 निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ ई.एम.डी. के रूप में 100000/- (एक लाख रुपये) का बैंकर्स चेक/ डी.डी. जो कि कलेक्टर जबलपुर के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंकर्स चेक या डीडी के अतिरिक्त नगद/ एफडी/ डाकघर की एन.एस.सी. इत्यादि स्वीकार नहीं होगा।

5.10 तकनीकी प्रस्ताव के साथ फॉर्म की राशि 500/- (पाँच सौ रुपये) का बैंकर चेक/ डीडी/ जो कि कलेक्टर जबलपुर के नाम से दे होगा या नगद राशि जमा करने पर प्राप्त की गई रसीद की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.11 पंजीकृत फर्म/ जी.एस.टी. के तहत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

5.12 कलेक्टर जबलपुर द्वारा नियुक्त चयनित समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्ताव खोला जाएगा तथा समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई भी निविदाकर्ता अपना पक्ष तीन दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष लिखित रूप से रख सकता है कलेक्टर द्वारा उसके आवेदन पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। जिसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

6. **ठेके की अवधि(contract period)**

6.1 निविदा की अवधि 31/03/2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु) तक होगी। अवधि पूर्ण होने के पश्चात् शासनिक/ प्रशासनिक/ आपदा/ अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण नवीन निविदा आमंत्रित ना कर पाने स्थिति में आगामी वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुबंध को नवीनीकरण करने का अधिकार कलेक्टर जबलपुर को होगा। इस परिस्थिति में अनुबंध का नवीनीकरण विगत वर्ष की दरों पर होगा एवं इस हेतु निविदाकर्ता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

6.2 निविदा स्वीकृति की सूचना के 10 दिवस के अंदर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध ना कर पाने एवं स्वीकार नहीं कर पाने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

7. **ई.एम.डी. (E.M.D.)-**

7.1 निविदाकार को ई.एम.डी. के रूप में 100000/- (एक लाख रुपये) की बैंकर्स चेक/ डी.डी. जो कि कलेक्टर जबलपुर के नाम से देय होगा, जमा कराना होगा।

8. **तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा ए) के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज-**

तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र –1 पूर्णत भरा होना चाहिए एवं टैक्सी ऑपरेटर्स/ संस्था/ कंपनी के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक होगा।

तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होना आवश्यक है:-

8.1 आवेदन पत्र।

8.2 तकनीकी प्रस्ताव, प्रपत्र - 1।

8.3 निविदा प्रपत्र (निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।)।

8.4 ई.एम.डी. की राशि 100000/- (एक लाख रुपये) बैंकर्स चेक/ डी.डी.।

8.5 निविदा फार्म की राशि 500/- का बैंकर्स चेक/ डी.डी. (नगद की स्थिति में रसीद की फोटो प्रति)।

8.6 अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां जो कि तकनीकी प्रस्ताव में वर्णित है।

9. **वित्तीय प्रस्ताव (लिफाफा - बी)**

वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र - 2 में प्रस्तुत करना है जो कि सीलबंद लिफाफा भी होना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर उपरोक्त अनुसार स्पष्ट लेख होना चाहिए।

10. उपरोक्त लिफाफा - ए एवं बी एक बड़े लिफाफा - सी में सीलबंद प्रस्तुत करना है, जिसके ऊपर निविदा क्रमांक, दिनांक, कलेक्टर जबलपुर द्वारा किराए आधार पर कमर्शियल वाहन लेने हेतु आमंत्रित निविदा लेख होना चाहिए तथा प्रेषक के रूप में ऑपरेटर्स/ संस्था/ कंपनी का नाम व पता स्पष्ट लिख होना चाहिए।

11. सफल निविदाकार के साथ अनुबंध-

कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी अधिकतम 31/03/2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु) तक के लिए सफल निविदाकार के साथ अनुबंध करेंगे।

12. **किलोमीटर एवं समय अवधि की गणना के लिए उपयुक्त जगह एवं प्रपत्र-**

12.1 किलोमीटर या समय की गणना कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से की जाएगी निविदाकार के गैरेज से या अन्य टेक्सी पार्किंग से टैक्सी के समय एवं किलोमीटर की गणना नहीं की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से टैक्सी यात्रा प्रारंभ होते समय टैक्सी के समय एवं किलोमीटर की गणना अधिकृत अधिकारी द्वारा नोट की जाएगी एवं यात्रा पूर्ण होने के उपरांत टैक्सी ड्राइवर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में संबंधित अधिकारी को टैक्सी किलोमीटर एवं यात्रा में लगे संपूर्ण उस समय को लॉग बुक में नोट कर उपयोग करने वाले अधिकारी से हस्ताक्षर कराएगा।

12.2 समाप्ति यात्रा की समाप्ति की गणना-

12.2.1 ऐसी स्थिति में जबकि टैक्सी प्रति किलोमीटर की दर पर निविदा समय अवधि के लिए ली गई हो, जो कि समय एवं किलोमीटर की गणना के लिए अधिकृत अधिकारी ही सक्षम अधिकारी होगा। टैक्सी ड्राइवर द्वारा यात्रा प्रारंभ होने या यात्रा समाप्त होने का समय एवं स्थान पर विधिवत उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारी या यात्रा करने वाले अधिकारी/ अतिथि से लॉग बुक पर हस्ताक्षर कराएगा।

13. **वित्तीय प्रस्ताव में न्यूनतम दर निर्धारित करने का पैरामीटर-**

13.1 समिति द्वारा व्यक्ति प्रस्ताव annexure II लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' (1.1) के क्रमांक 1 (1, 2, 3) के योग ÷ 3 के अनुसार न्यूनतम दर वाले निविदाकार का चयन किया जाएगा।

13.2 समिति द्वारा व्यक्ति प्रस्ताव annexure II (1.1) के क्रमांक 2 एवं 3 में चयनित निविदाकार का दर अधिक होने की स्थिति में समिति चयनित निविदाकार के साथ समझौता-वार्ता (Negotiation) करने के लिए स्वतंत्र होगी।

13.3 लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' के लिये चयनित निविदाकार को लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B' एवं वाहन - 'श्रेणी C' मे न्यूनतम दर वाले निविदाकार की दर पर कार्य करना होगा। इसी प्रकार सहमति नही देने कि स्थिति मे लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B' एवं वाहन - 'श्रेणी C' के निविदाकार का चयन किया जायगा। परंतु सर्वप्रथम लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' के लिये चयनित निविदाकार को अवसर प्रदान किया जायगा।

13.4 वित्तीय प्रस्ताव में डीजल/ पेट्रोल वाहनों को अलग-अलग वरीयता नहीं दी जाएगी। केवल दिए गए प्रति किलोमीटर के दर के हिसाब से न्यूनतम दर का चयन किया जाएगा।

13.5 दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहनो के लिये अलग - अलग निविदाकर्ता का चयन किया जा सकता है।

14. **किराए की टैक्सी हेतु नियम एवं शर्तें-**

कलेक्टर जबलपुर या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा निविदा फार्म के दिए गए नियमों एवं शर्तो के अधीन टैक्सी किराए पर ली जाएगी। चयनित निविदाकार द्वारा ही सर्वप्रथम किराए की टैक्सी की मांग पूरी की जाएगी यदि चयनित निविदाकार मांग के अनुसार टैक्सी देने में असमर्थ पाया जाता है, तो कलेक्टर जबलपुर बाजार दर के अनुसार अन्य दूसरे ऑपरेटर से टैक्सी लेने के लिए स्वतंत्र होगा ऐसी स्थिति में अंतर की राशि चयनित निविदाकार के देयकों से वसूल की जाएगी।

उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अलावा अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार पृथक से दी जा रही हैं-

15. **अतिरिक्त नियम एवं शर्तें -**

15.1 निम्नानुसार चयनित निविदाकार को जिला सत्कार अधिकारी के साथ करार पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

15.2 वित्तीय प्रस्ताव (प्रपत्र - 2) में दिए गए दर में टैक्स (मध्यप्रदेश शासन/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित) सम्मिलित होगा। यह समस्त निर्धारित टैक्स भुगतान निविदाकार को जी.एस.टी. नियमों के अनुसार कर कार्यालय को सूचित करना होगा ।

15.3 जबलपुर/ जबलपुर जिले के बाहर लगने वाले समस्त टोल टैक्स का वहन कलेक्टर जबलपुर द्वारा किया जाएगा, परंतु मौके पर टोल टैक्स का भुगतान टैक्सी ड्राइवर द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे किए गए समस्त भुगतान को मूल रसीद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

15.4 वित्तीय प्रस्ताव केवल उन्हीं निविदाकारों के खोले जाएंगे जिनको समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया जाएगा तथा वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार चयनित निम्न दर वाले निविदाकार के साथ ही अनुबंध संपादित किया जाएगा।

15.5 निर्धारित निविदा फार्म जो कि कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया हो या कलेक्टर जबलपुर की वेबसाइट www.jabalpur.nic.in से डाउनलोड किया गया हो स्वीकार किया जाएगा निर्धारित निविदा फार्म में किसी भी प्रकार किए गए परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.6 डाक/ फैक्स/ ईमेल इत्यादि के माध्यम से किए गए निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा ना ही ऐसे निविदा पर विचार किया जाएगा।

15.7 निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.8 कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी कोई एक निविदा/ समस्त निविदा या उसका कोई भाग बिना कारण बताए बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर सकता है।

15.9 वित्तीय प्रस्ताव में दी गई दर अंकों एवं शब्दों में दर्शाना अनिवार्य होगा।

15.10 निविदा फॉर्म कलेक्टर कार्यालय के नाजरात शाखा कक्ष क्रमांक-48 से 500/-(पाँच सौ रुपये) नगद/ बैंकर्स चेक/ डी.डी. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, या वेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा के साथ 500/- (पाँच सौ रुपये) की बैंकर्स चेक/ डी.डी. जो कलेक्टर जबलपुर के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा निविदा फार्म तिथि 17/11/2021 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

15.11 चयनित समिति द्वारा समस्त उपस्थित टैक्सी ऑपरेटर के समक्ष दिनांक 17/11/2021 को शाम 4:00 बजे निविदा खोलने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

15.12 किराए पर ली गई टैक्सी का समुचित रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा रखा जाएगा। जिसमें वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि का पूरा नाम, पता, उपयोग करने का दिनांक, समय एवं किलोमीटर आदि की जानकारी संबंधित वाहन के लॉग बुक के साथ-साथ कार्यालय में भी संधारित की जाएगी। लॉग बुक पर उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

15.13 किराए की टैक्सी पर होने वाले समस्त व्यय जिसमें टैक्सी की मरम्मत, ड्राइवर का मासिक वेतन, ड्राइवर द्वारा किया गया ओवरटाइम, ड्यूटी ड्राइवर द्वारा संबंधित मोबाइल फोन एवं अन्य समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा ऐसा कोई भी व्यय कलेक्टर जबलपुर द्वारा ना तो देय होगा, ना ही निविदाकार द्वारा देयक में सम्मिलित किया जाएगा।

15.14 यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से हुई दुर्घटना में क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व टैक्सी ऑपरेटर का होगा तथा ऐसे प्रकरण में न्यायालयीन व्यय का उत्तरदायित्व भी टैक्सी ऑपरेटर का होग। इस प्रकार के किसी भी व्यय के लिए कलेक्टर उत्तरदायी नहीं होगा।

15.15 किराए पर लगने वाले समस्त वाहनों का बीमा होना अनिवार्य है। ऐसे वाहन जिनकी बीमा अवधि समाप्त हो चुकी है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे वाहनों का देयक भुगतान किया जाएगा।

15.16 कलेक्टर के साथ विवाद की स्थिति में जबलपुर स्थित न्यायालय, सक्षम न्यायालय होगा।

15.17 बिना निविदा फार्म की राशि एवं ई.एम.डी. की राशि के निविदा को अस्वीकार किया जाएगा।

15.18 निविदा की अवधि अधिकतम 31/03/2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022) तक होगी।

15.19 चयनित निविदाकार यदि कलेक्टर के साथ अनुबंध करने में असमर्थ पाया जाता है या निविदा में किसी भी प्रकरण की गलत जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने में सफल हुआ है, तो ऐसे निविदाकार के स्थान पर अन्य दूसरे निविदाकार का चयन किया जाएगा तथा चयनित दूसरे निविदाकार जो कि एल-2 होगा को भी एल-1 के दर पर कार्य करने की सहमति देनी होगी।

15.20 चयनित निविदाकार किसी भी स्थिति में निविदा किसी दूसरे टैक्सी ऑपरेटर्स को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

15.21 किराए पर ली जाने वाली समस्त टैक्सियों का पात्रतानुसार राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ टैक्सी के आगे एवं पीछे "ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी" लिखना अनिवार्य होगा।

15.22 विशेष परिस्थितियों में नियम एवं शर्तों में परिवर्तन का अधिकार कलेक्टर जबलपुर के पास सुरक्षित होगा।

15.23 वाहन सेवा असंतोषजनक होने पर 15 दिन का नोटिस देकर वाहन सेवा को बंद किया जा सकेगा। वाहन मालिक भी 15 दिन का नोटिस देकर अपने वाहन की सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

15.24 वाहन का किसी भी प्रकार का व्यय, सुधरवाई, टूट-फूट, पंचर आदि का व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा।

15.25 प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर वाहन मालिक अपने साधन एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा, जिसके लिए पृथक से कोई दावा मान्य नहीं होगा। प्रवास के दौरान वाहन उपयोग होने पर कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।

15.26 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति जिला कलेक्टर द्वारा मान्य नहीं की जावेगी। इसमें वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिए भी वाहन मालिक ही जिम्मेदार होगा। वाहन के साथ वाहन चालक एवं यात्री बीमा प्रपत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

15.27 वाहन चालक के पास कमर्शियल लाइसेंस होना आवश्यक है यदि कमर्शियल लाइसेंस के अभाव में चालान आदि होता है, तो विभाग जिम्मेदार नहीं माना जावेगा एवं इस स्थिति में यात्रा में व्यवधान की भरपाई वाहन मालिक को करनी होगी। इस स्थिति में 1000/-(एक हजार रुपये) प्रतिदिन/ प्रति वाहन की दर से कटौती की जावेगी।

15.28 वाहन चालक द्वारा बिना वर्दी एवं टोपी के ड्यूटी पर उपस्थित होने की दशा में प्रति वाहन 50 (पचास रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी।

15.29 इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर जबलपुर को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय पक्षों को मान्य होगा।

15.30 नियमों में परिवर्तन एवं शिथिलता का अधिकार कलेक्टर जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

किराए के वाहन के साथ तैनात ड्राइवर के संबंध में मूल आवश्यकताएं-

15.31 टैक्सी ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के इंश्योरेंस की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल फोन होना अनिवार्य है।

15.32 टैक्सी के साथ इस प्रकार के ड्राइवर दिये जाना चाहिए, जिनका विगत 05 वर्षो मे किसी भी प्रकार का आपराधिक एवं एक्सीडेंटल रिकॉर्ड ना हो। ऐसा पाए जाने पर टैक्सी ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

15.32 ड्यूटी के समय ड्राइवर को समय-समय पर वाहन की साफ सफाई करनी होगी एवं यात्रा के समय वाहन का लॉग बुक संधारित करना होगा।

15.34 टैक्सी वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि के साथ आदर सम्मान के साथ वार्तालाप करना होगा किसी भी प्रकार से किए गए दुर्व्यवहार पर संबंधित ड्राइवर को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा एव भविष्य में ऐसे ड्राइवर का उपयोग वर्जित रहेगा।

15.35 टैक्सी वाहन के ड्राइवर का कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेशभूषा में रहना आवश्यक होगा।

15.36 टैक्सी वाहन के ड्राइवर की उम्र 60 वर्ष से कम होना चाहिए एवं पूरी तरह से चिकित्सकीय फिट होना चाहिए।

15.37 ड्राइवर का पुलिस सत्यापन कराने के लिए कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होगा।

15.38 वाहन किराए पर लेते समय वाहन में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जिससे कि वाहन कम-से-कम 100 किलोमीटर तक चल सके। आवश्यकतानुसार डीजल भरवाने के लिए ड्राइवर के पास आवश्यक राशि होना चाहिए।

किराये के वाहन के संबंध में मूल आवश्यकताएँ-

16. समस्त वाहन जो कि निविदा में दिये जा रहे हैं वर्ष 2019 के पूर्व के मॉडल के नहीं होना चाहिए।

16.01 टैक्सी का रजिस्टेशन कमर्शियल के रूप में होना आवश्यक है तथा उस पर अंकित नंबर प्लेट म.प्र. शासन परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।

16.02 उपरोक्त के अलावा कमर्शियल टैक्सी में निम्न सुविधाएँ अनिवार्य है।

16.2.1 टैक्सी में सेन्ट्रल लॉक होना चाहिए।

16.2.2 टैक्सी में टेक्नोमीटर/ स्पीडोमीटर अच्छी स्थिति में होना चाहिए ।

16.2.3 टैक्सी में अच्छी स्थिति में लेदर / फेबरिक सीट होना चाहिए ।

16.2.4 हैलोजन हेड लैम्प होना चाहिए ।

16.2.5 ए.सी. एवं हीटिंग सिस्टम होना चाहिए ।

16.2.6 कम से कम 04 लोगों के लिए सेफटी बेल्ट लगा होना चाहिए ।

16.2.5 अन्य सुविधाएं जो आवश्यक हों, टैक्सी में होना चाहिए।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

जिला सत्कार अधिकारी
जबलपुर

Annexure - 1

निविदा क्रमांक/995/सत्कार/2021

विषय- सत्कार व्यवस्था हेतु कमर्शियल वाहन किराये आधार पर लेने बाबत ।

तकनीकी प्रस्ताव

क्रं.	विवरण	प्रविष्ठि
1.1	निविदाकार का नाम	
1.2	यदि बिन्दु 1.1 से भिन्न है तो टैक्सी ऑपरेटर्स के फर्म/ रजिस्टर्ड संस्था / कंपनी इत्यादि का नाम दिया जाए	
2	निविदाकार की स्थिति व्यक्तिगत / साझेदारी / फर्म / कंपनी / सोसायटी या अन्य दर्शायें।	
3	कमर्शियल टैक्सी स्वयं निविदाकर्ता के नाम पर रजिस्टड है या नही यदि टैक्सी किसी अन्य के नाम हो तो पूर्ण विवरण दें।	
4	निविदाकार स्वयं निविदा प्रस्तुत कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को तो अधिकृत किया गया है। विवरण देवें।	
5	निविदाकार के संपर्क का विवरण	
5.1	नाम	
5.2	पूर्ण स्थायी पता/ पिनकोड सहित	
5.3	दूरभाष क्रमांक/ मोबाईल नं. एस.टी.डी. कोड सहित	
5.4	फैक्स नं. एस.टी.डी. कोड सहित एवं ई मेल पता यदि हो तो	
5.5	यदि निविदाकार द्वारा अन्य किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	
6.1	नाम	
6.2	पूर्ण स्थायी पता/ पिनकोड सहित	
6.3	दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नं. एस.टी.डी. कोड सहित	
6.4	फैक्स नं. एस.टी.डी. कोड सहित एवं ई मेल पता यदि हो तो	

निविदाकार द्वारा कमर्शियल टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत वाहनों की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

क्रं.	विवरण	उपलब्ध कमर्शियल टैक्सी कुल संख्या	कमर्शियल टैक्सी जो कलेक्टर जबलपुर को उपलब्ध कराना है संख्या देवें
1	2	3	4
1	फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, टाटा सफारी, टाटा हेक्सा, स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्स.यू.वी		
2	बोलेरो, तवेरा, टी.यू.वी., अर्टिगा, हुंडई वर्ना, स्कोडा रैपिड, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर, सियाज		
3	ट्रैवलर, मिनी बस, लोडर वाहन		
	कुल वाहन		

(नोट :- कृपया टैक्सी का रजिस्ट्रेशन सहित सूची संलग्न करें।)

8. उपलब्ध वाहन चालकों के संबंध में:-

क्रं.	विवरण उपलब्ध कमर्शियल टैक्सी कुल संख्या	कमर्शियल टैक्सी जो कलेक्टर जबलपुर को उपलब्ध कराना है संख्या देवें
8.1	उपलब्ध कुल वाहन चालकों की संख्या	
8.2	यदि निविदा स्वीकार होती है कलेक्टर जबलपुर को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालकों की संख्या	

(नोट:- कृपया ड्रायवर की सूची जिसमें नाम, पता, मोबाईल नंबर हो संलग्न करें।)

9. निविदाकार द्वारा टैक्सी (पार्किंग) स्थल का पूर्ण विवरण देवें:-

क्रं.	विवरण
9.1	
9.2	
9.3	

10. निविदाकार विगत 03 वर्षो में टैक्सी व्यवसाय के आय-व्यय(Turnover) का तहत किया गया ब्यौरा निम्नानुसार देवे

क्रं.	वर्ष	वार्षिक आय-व्यय (Turnover)
10.1	2018-19	
10.2	2019-20	
10.3	2020-21	
10.4		

नोट:- कृपया उपरोक्त 3 वर्षो का आयकर विवरण संलग्न करें, जिसमे किसी 01 वर्ष का टर्नओवर 01 करोड़ से कम नही हो। यदि स्वयं का किसी 01 वर्ष का टर्नओवर 01 करोड़ से कम है तो ऐसी दशा में पार्टनर के आय-व्यय की विवरणी भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु पार्टनर के साथ वैध करार होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

11. किन्ही तीन प्रतिष्ठित संस्था/ कंपनी का शासकीय या अशासकीय कार्यालयों में विगत 03 वर्ष अपने वाहन संलग्न किये गये गये हों, उन संस्थाओं का नाम एवं वहीं से प्राप्त कार्यादेश संलग्न करें:-

क्रं.	संस्था का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र
11.1	
11.2	
11.3	

12. क्या आपके द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार दस्तावेजों की सूची संलग्न की गई है, हां या नहीं में जवाब देवें:-

क्र.	विवरण	जवाब (हाँ या नहीं)
12.1	क्या मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल टैक्सी संचालन करने हेतु ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड हैं? रजिस्ट्रेशन हेतु सत्यापित प्रमाण संलग्न है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या रजिस्ट्रेशन हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं साथ ही निर्धारित शुल्क जमा किया गया है या नहीं? यदि हां, तो आवेदन एवं जमा राशि की पावती की फोटो प्रति संलग्न है या नहीं?	
12.2	निविदा में दिये गए समस्त वाहन कमर्शियल टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड है या नहीं? कम से कम 15 टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न करें।	
12.3	कम से कम 15 ड्राइवरों के नाम सहित सूची संलग्न है या नहीं?	
12.4	समस्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है या नहीं?	
12.5	विगत 3 वर्षों का सी.ए. द्वारा प्रमाणित आयकर विवरण संलग्न है या नहीं? (किसी 01 वर्ष का टर्नओवर 01 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।)	
12.6	संस्थानों में कार्य करने का 3 वर्षो के अनुभव संबंधित जानकारी एवं उनके नाम की सूची संलग्न है या नहीं?	
12.7	ए - पार्टनरशिप डीड की फोटो प्रति संलग्न है या नहीं (पार्टनरशिप फर्म के लिए) या एम.ओ.ए. बायलॉज, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (केवल कंपनी के लिए) या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो निविदाकारों द्वारा समिति के रूप में गठित की गई हो।	
	बी - टैक्सी ऑपरेटर द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया गया है, तो उस व्यक्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न किया गया है या नहीं?	
12.8	क्या समस्त वाहन का रोड टैक्स जमा है एवं सभी वाहनों का वैघ परमिट क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ?	
12.9	क्या सभी वाहनों का वैघ बीमा निर्धारित अवधि के लिये कराया गया है या नहीं ?	
12.10	क्या संस्था / फर्म के पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है या नही ?	
12.11	क्या टैक्सी ऑपरेटर का विगत पांच वर्षो में किसी शासकीय या अशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया है या नही ?	
12.12	निविदाकार द्वारा वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया गया है या नही ?	
12.13	क्या आपके द्वारा ई.एम.डी. को निर्धारित राशि रूपये 100000/-(एक लाख रुपये) का बैंकर्स चैक या डी.डी. प्रस्तुत किया गया है।	
12.14	क्या आपके निविदा फार्म की राशि रूपये 500/-(पाँच सौ रुपये) जमा कर रसीद प्रापत की गई है या चैक / डी.डी. के रूप में जमा की गई है या नहीं ।	

12.15	क्या आपके द्‌वारा निविदा में दिये गये अन्य दूसरे नियमों एवं शर्तो का पालन किया गया है या नही ।	

13. अन्य कोई आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकते हैं।

स्थान :- जबलपुर
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
पद सील सहित

ANNEXURE – 1 (A)

विषय :- कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देने बावत् ।

नोट :- टैक्सी ऑपरेटर द्वारा कम से कम 15 कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देना अनिवार्य है।

क्रं.	टैक्सी का प्रकार	वाहन मालिक का नाम	मॉडल वर्ष / रजिस्ट्रेशन वर्ष	संख्या	टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर
1	फार्च्यूनर				
2	इनोवा क्रिस्टा				
3	इनोवा				
4	टाटा सफारी				
5	टाटा हेक्सा				
6	स्कार्पिओ				
7	महिंद्रा एक्स.यू.वी.				
8	बोलेरो				
9	तवेरा				
10	टी.यू.बी. ट्रेवलर				
11	अर्टिगा				
12	हुंडई वर्ना				
13	स्कोडा रेपिड				
14	हौंडा सिटी				
15	स्विफ्ट डिजायर				
16	सियाज				
17	अन्य				
18	ट्रेवलर				
19	मिनी बस				
20	लोडर वाहन				

स्थान :- जबलपुर

दिनांक :-

निविदाकार का हस्ताक्षर
पद सील सहित

ANNEXURE – 1 (B)

विषय :- कमर्शियल टैक्सी ड्रायवर की पूर्ण जानकारी देने बावत् ।

नोट :- टैक्सी ऑपरेटर द्वारा कम से कम 15 कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देना अनिवार्य है ।

क्रं.	नाम	पता	उम्र	मोबाईल नंबर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

स्थान :- जबलपुर

दिनांक :-

निविदाकार का हस्ताक्षर

पद सील सहित

Annexure - II

निविदा क्रमांक 995

विषय:- सत्कार व्यवस्था हेतु कामर्शियल वाहन डीजल/ पेट्रोल सहित/ डीजल/ पेट्रोल रहित किराये दर प्रस्तुत करने बाबत्।

वित्तीय प्रस्ताव

1. 1.1 **लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A'** (फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, टाटा सफारी, टाटा हेक्सा, स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्स.यू.वी) डीजल/पेट्रोल सहित

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहन जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

(नोट: - उपरोक्त दर में सर्विस टैक्स/ कामर्शियल टैक्स/ वेट टैक्स या अन्य सभी टैक्स सम्मिलित होगा)

2. 2.1 **लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B'** (बोलेरो, तवेरा, टी.यू.वी., अर्टिगा, हुंडई वर्ना, स्कोडा रेपिड, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर, सियाज) डीजल/पेट्रोल सहित

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहन जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

2.2 **लग्जरी ए.सी.वाहन - 'श्रेणी B'** (बोलेरो, तवेरा, टी.यू.वी., अर्टिगा, हुंडई वर्ना, स्कोडा रेपिड, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर, सियाज) डीजल/पेट्रोल रहित

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहन जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

3. 3.1 **वाहन - 'श्रेणी C'** (ट्रेवलर (ए.सी.), मिनी बस, लोडर वाहन) डीजल/पेट्रोल सहित

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहन जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

3.2 **वाहन - 'श्रेणी C'** (ट्रेवलर, मिनी बस, लोडर वाहन) डीजल/पेट्रोल रहित

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहन जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

(नोटः- 1. उपरोक्त दर में सर्विस टैक्स/ कामर्शियल टैक्स/ वेट टैक्स या अन्य सभी टैक्स सम्मिलित होगा।

2. सुरक्षा व्यवस्था में जैसे- E-1, E-2 लगेज, फालो में POL पुलिस लाइन जबलपुर के द्वारा देय होगा।)

उपरोक्तानुसार कलेक्टर जबलपुर द्वारा यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो मैं निविदा में दिये गये शर्तों एवं नियमों के अनुरूप टैक्सी देने हेतु सहमत हूँ।

स्थानः - जबलपुर

दिनांकः-

निविदाकार के हस्ताक्षर

पद सील सहित

Annexure – II(A)

मासिक किराये के आधार पर कामर्शियल टैक्सी हेतु वित्तीय प्रस्ताव

विषय :- सत्कार व्यवस्था एवं शासकीय कार्य हेतु कमर्शियल वाहन डीजल/पेट्रोल रहित किराय की दर प्रस्तुत करने बाबत्।

क्रं	विवरण	वाहन का प्रकार	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	मासिक किराया ड्रायवर सहित	जीप, सिडान, एम.यू.वी., कॉम्पेक्ट एस.यू.वी., एस.यू.वी., एवं अन्य		

नोट:-

1. मासिक किराए आधार पर वाहन लिए जाने पर टैक्सी ऑपरेटर को डीजल/पेट्रोल व्यय नहीं देना है, केवल डीजल/पेट्रोल पर होने वाले व्यय कलेक्टर जबलपुर द्वारा वहन किया जायेगा तथा संलग्न वाहन को अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से डीजल प्रदाय किया जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति लीटर कम एवरेज देने वाले वाहन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य नियम एवं शर्तें निविदा के अनुरूप यथावत रहेंगी।

उपरोक्त दर से सर्विस टैक्स/ कमर्शियल टैक्स/ वैट टेक्स या अन्य सभी टैक्स सम्मिलित होंगे।

स्थान:- जबलपुर
दिनाँक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर
पद सील सहित